प्रपत्र सं. 1 का पृष्ठ सं.

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला जयपुर ...थाना प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र0 नि0 ब्यू0 जयपुर ....
प्र0इ0रि0 सं. ......05/22...... दिनांक. ..... 8/1/22 .....

2. (I) अधिनियम ...पी0सी0 (संशोधन)एक्ट 2018............... धारायें. 7, 7ए एवं 8.....
(II) अधिनियम .भा0दं0सं0 .. धारायें.......201, 120 बी....................
(III) 'अधिनियम .... धारायें ....
(IV) 'अन्य अधिनियम एवं धारायें ....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या ....208......... समय . 5-15 P.M.
(ब) 'अपराध घटने की दिनांक 15.09.2021 से लगातार समय
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक समय

4. सूचना की किस्म :–लिखित / मौखिक :– लिखित

5. घटनास्थल :– जयपुर
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी:–......................
(ब) 'पता ....
....बीट संख्या.........................जयरामदेही सं................
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना ....जिला ....

6. परिवादी / सूचनाकर्ता :–
(अ) नाम .. श्री रघुवीर शरण शर्मा..........................
(ब) पिता/पति का नाम......
(स) जन्म तिथि/वर्ष ....
(द) राष्ट्रीयता . .भारतीय..
(य) पासपोर्ट संख्या ....जारी होने की तिथि .
जारी होने की जगह ....
(र) व्यवसाय – ....
(ल) पता :– पुलिस निरीक्षक, विशेष अनुसंधान ईकाई, भ्रनिब्यूरो, जयपुर।

<u>ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित : –</u>

1– श्री अचलेश्वर मीणा पुत्र श्री जटाशंकर मीणा निवासी मकान नम्बर ए–800, सिद्धार्थ नगर, जैन मंदिर जवाहर सर्कल के पास, जयपुर हाल वितीय सलाहकार, नगर निगम ग्रेट, जयपुर।

2– श्री धनकुमार जैन पुत्र स्व0 श्री छोटेलाल जैन उम्र 60 साल निवासी 7, श्रीजी नगर, दुर्गापुरा, जयपुर हाल नगर निगम, ग्रेटर, जयपुर में ठेकेदार।

3– श्री अनिल अग्रवाल पुत्र श्री ओमप्रकाश अग्रवाल उम्र 46 साल निवासी सी–27–बी, चौमू हाउस, पुलिस थाना विधायकपूरी, जयपुर हाल सरकारी ठेकेदार, नगर निगम, ग्रेट, जयपुर।

4– श्री यतेन्द्र सांखला, हाल सहायक लेखाधिकारी, नगर निगम, ग्रेटर, जयपुर।

5–श्रीकान्त पारीक, ए.0ए0 नगर निगम, ग्रेटर, जयपुर।

6–श्री गोविन्द्र कुमार,

7–श्री गंगाराम मीणा

8– श्री अभिषेक जैन उर्फ टीटू

9–नगर निगम, ग्रेटर जयपुर में पदस्थापित अन्य अधिकारीगण/कर्मचारीगण एवं अन्य प्राईवेट व्यक्ति/ठेकेदार/दलाल

8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :–...........कोई नहीं............

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)

10. चुराई हुई/ लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य– ....

11. पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) ....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) :

निवेदन है कि मन् निरीक्षक पुलिस को जरिये सूत्र दिनांक 15.09.2021 को एक सूचना इस आशय की प्राप्त हुई कि नगर निगम ग्रेटर जयपुर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के द्वारा नगर निगम के ठेकेदारों से उनके कार्यों के बिलों के भुगतान करने की ऐवज में 2 से 3 प्रतिशत धन राशि बतौर कमीशन रिश्वत के रूप में ली जा रही है। नगर निगम जयपुर में कार्यरत ठेकेदारों के बिल सूचारू रूप से पास करवाने के लिए दलालों के माध्यम से निगम के अधिकारियों द्वारा भ्रष्ट आचरण में संलिप्त होकर रिश्वत राशि प्राप्त किये जाने की सूचना विश्वस्त सूत्रों से प्राप्त हुई। इस भ्रष्ट आचरण में नगर निगम हैरिटेज तथा ग्रेटर में कार्यरत अधिकारियों द्वारा टैण्डर प्रदान किये जाने से लेकर, कार्य के निरीक्षण, माप तथा बिल अग्रेषित व भुगतान किये जाने के लिये पृथक–पृथक रिश्वत राशि दलालों के माध्यम से प्राप्त की जाती है। रिश्वत राशि प्राप्त की जाकर सम्बन्धित भ्रष्ट अधिकारियों को प्रदान की जाती है। ये माबाईल नं. 9166555111 धारक श्री अचलेश्वर मीणा वितीय सलाहकार नगर निगम ग्रेटर, 9829966711 एवं 9829422627 धारक श्री गोविन्द कुमार अग्रवाल उर्फ गोपी, 9828600113 धारक श्री धनकुमार, 9314874078 धारक श्री अनिल अग्रवाल, 9351302347 धारक श्री अभिषेक जैन उर्फ टीटू, 9414056264 एवं 9057206906 धारक श्री गंगाराम मीणा, 9828469469 धारक श्री यतेन्द्र सांखला एएओ नगर निगम ग्रेटर प्रयोग करते हैं। जिनको अन्तावरोध पर लिया गया। उक्त मोबाईल नम्बर के धारकों में श्री अचलेश्वर मीणा, नगर निगम ग्रेटर, जयपुर में वितीय सलाहकार के पद पर तथा श्री यतेन्द्र सांखला, एएओ नगर निगम ग्रेटर, जयपुर के पद पर पदस्थापित है तथा श्री धनकुमार, गोविन्द्र कुमार, अनिल अग्रवाल, गंगाराम मीणा तथा अभिषेक जैन उर्फ टीटू प्राईवेट व्यक्ति है जो वर्तमान में नगर निगम से सम्बंधित निर्माण कार्यों के लिये ठेकेदारी का काम करते है। इसलिये उक्त सूत्र सूचना की पुष्टि हेतु उक्त मोबाईल नम्बरों को नियमानुसार ब्यूरों मुख्यालय से अन्तावरोध पर लिया जाकर मन् पुलिस निरीक्षक, श्री पन्नालाल कानि0 09, श्री रमजान अली कानि. 466, श्री देवेन्द्र सिंह कानि. एवं श्री मनीष सिंह कानि0 द्वारा सुना जाकर सत्यापन किया गया, जिसमें सूत्र सूचना के तथ्यों की पूर्णरूपेण पुष्टि हुई। उपरोक्त मोबाईल नम्बरों धारकों की निगरानी मन् पुलिस निरीक्षक, श्री पन्नालाल कानि0 09, श्री रमजान अली कानि. 466, श्री देवेन्द्र सिंह कानि. एवं श्री मनीष सिंह कानि0 द्वारा की गई तो उक्त संदिग्ध अधिकारियों तथा प्राईवेट ठेकेदारों (मोबाईल नम्बरों के धारकों) का परस्पर मिलना तथा नगर निगम, ग्रेटर से सम्बंधित टैण्डर प्रदान किये जाने से लेकर, कार्य के निरीक्षण, माप तथा बिल अग्रेषित एवं भुगतान किये जाने तक के लिये बतौर कमीशन रिश्वत हेतु वार्ता करने की पुष्टि हुई, जिनका उल्लेख निम्नानुसार है :–

गोपनीय रूप से मन् पुलिस निरीक्षक तथा श्री रमजान अली कानि0 द्वारा की गई निगरानी के दौरान दिनांक 18.09.2021 को मीणा नर्सरी बी–2 बाईपास कोने पर समय करीब 01:00 पीएम से करीब 2:00 पीएम तक कई ठेकेदार इक्ट्ठे हुए तथा कमीशन के रूप में दी जाने वाली धन राशि व बिलों के पेमेन्ट के सम्बन्ध में वार्ता की गई। उक्त स्थान के मोबाईल फोन से फोटोग्राफ भी लिये गये।

इसी प्रकार मन् पुलिस निरीक्षक, श्री पन्नालाल कानि0 तथा श्री रमजान अली कानि0 द्वारा की गई निगरानी के दौरान दिनांक 20.09.2021 को नगर निगम ग्रेटर में समय करीबन 6 बजे गोविन्द कुमार अग्रवाल उर्फ गोपी ठेकेदार एवं ठेकेदार धन कुमार द्वारा मुलाकात कर वार्ता की गई। वार्ता से पूर्व दोनों नगर निगम ग्रेटर लेखा शाखा कमरा नम्बर 325 में जाकर आते है। गोपी व धनकुमार की मुलाकात का मोबाईल फोन से विडियों बनाया गया।

दिनांक 21.09.2021 को गोपी ठेकेदार व पंकज अग्रवाल ठेकेदार ने जयपुर हॉस्पिटल में समय करीब 5:00 बजे मुलाकात की। पंकज अग्रवाल व अन्य निगम कर्मी की पिछे वाले गेट पर मुलाकात का विडियो व फोटो बनायी गयी है।

दिनांक 22.09.2021 को गोपी ठेकेदार नगर निगम हैरिटेज में जाता है। समय करीब 3:30 पीएम पर लेखा शाखा के निगम कर्मी से मुलाकात करता है उससे पहले गोपी लेखा

शाखा में जाकर आता है। गोपी व नगर निगम कर्मी की मुलाकात का विडियो बनाया गया। मुलाकात करने के लिए गोपी फोन कर कहां खड़ा होना पूछता है।

इस प्रकार नगर निगम, ग्रेटर के उपरोक्त अधिकारियों तथा प्राईवेट ठेकेदारों नगर निगम, ग्रेटर से सम्बंधित टैण्डर प्रदान किये जाने से लेकर, कार्य के निरीक्षण, माप तथा बिल अग्रेषित एवं भुगतान किये जाने तक के लिये बतौर कमीशन रिश्वत हेतु मिलीभगत करने की पुष्टि होना पाया गया।

उपरोक्त मोबाईल नम्बरों के अन्तावरोध अवधि में उनके द्वारा लोकसेवकों तथा अन्य सम्बन्धित व्यक्तियों से की गई संदिग्ध वार्ताओं का सार निम्नानुसार है–

उक्त सूचना की गोपनीय सत्यापन पर प्रकट हुआ कि श्री अनिल अग्रवाल कृष्ण बिल्डर्स कोन्टेक्टर्स सी–स्कीम जयपुर बीजेपी कार्यालय के सामने की गली में मकान, जो कि नगर निगम हरिटेज तथा ग्रेटर में कन्स्ट्रक्शन कार्य का पुराना ठेकेदार है, के द्वारा स्वंय के कार्यो के लिये तथा अन्य ठेकेदारों के कार्यो के उनकी सहूलियत अनुसार परीक्षण तथा बिल पास करवाने की ऐवज में रिश्वत लेन–देन की वार्ता की जाना पाया गया।

दिनांक 14.10.2021 को समय 21:54:51 पीएम पर संदिग्ध श्री अनिल अग्रवाल के मोबाईल नं. 9314874078 तथा श्री नरेश कुमार अग्रवाल के मोबाईल नं. 9928836666 पर हुई परस्पर वार्ता – नरेशः– हां अनिल जी...........अनिलः– सलीम का क्या हुआ, यार ....नरेश :– सलीम ये बोल रहा है भाई दादा मैं कोई काम में अटक रहा हूं। निकाल नहीं पाया। बैंक से सुबह जल्दी निकाल लूंगा, मैं दे दूंगा। आप को ....अनिल :– देख ले, खाली वो ही रह गया, बाकी तो सब के आ गये है। ....नरेश :– मैं दे दूंगा बाकी और तो क्या ठीक भेज देना। ....अनिल :– अबकी बार एक चीज बताऊं क्या इस कलेक्शन की खास बात, इस कलेक्शन में निनानवे प्रतिशत में पहुंचा दिया मैं एक प्रतिशत बाकी रखा है। ....नरेश :– हां अनिल .... अनिल :– इसमें मैंने एक बाकी रखा है, नेमी नहीं मांगे क्या, कुत्ते की औलाद है पिछली बार हां भरके नहीं दिया था। मेरी जेब से पैसे लगे थे दो से ढाई लाख रूपये थे। ....नरेश :– यार बाकी सब सलट गये ....अनिल :– सौ प्रतिशत गडंक की औलाद है हां भरले नट जाये अपन चुतिया पड़ जाये अपन कोस लगा दिया वो जाने उसका काम जाने हां कर ले फिर नहीं दे .... नरेश :– किते का पेमेन्ट है।............अनिल :– ये मेरे हिसाब से 7 करोड़ रूपये नहीं 7 लाख रूपये है। चार करोड़ का है। ....नरेश :–चार करोड़ रूपये ....अनिल :– हॉ ......नरेश :– अभी जून जुलाई का ये सारी बाते ....अनिल :– फोन पर ही बोलेगा क्या ....नरेश :– अब आगे का ....अनिल :– तीन महिने का चल जायेगा कानून प्लानिंग तो यही है चलो बाकी प्रभू की मर्जी तो कल करवाना हां भिजवाता हूं, हां करवाता तेरे पास से देने में तो खाली हां कर रहा हूं।

दिनांक 17.10.2021 को 09:39:20 एएम पर अनिल अग्रवाल के मोबाईल नं.9314874078 पर एफ.ए. श्री अचलेश्वर मीणा के मोबाईल नम्बर 9799229861 से हुई वार्ता में अनिल अग्रवाल से एफ.ए. पुछ रहा है– कल वो श्रीकांत मिले थे क्या? ....अनिल :– सर दे दी वो हमें आगे की हग्म ....अचलेश्वर :– चाय का टाईम कब मिलेगा आपको ....अनिल :– आ जाओ मैं तो घर ही हूं। सर ....अचलेश्वरः– ठीक है। ....अनिल :– आधे घण्टे पहले रिंग करके आ जाना प्रसाद(रिश्वत राशि) भी रखा है आपका वो भी ले जाना ....अचलेश्वरः– ठीक है। ठीक है। ओके

दिनांक 18.10.2021 को 09.00 एएम पर अचलेश्वर मीणा, एफ.ए. साहब आरजे 45 सीएच 5243 से अनिल अग्रवाल बिल्डर्स एवं कॉन्ट्रेक्टर्स के घर सी स्कीम पहुंचे व करीब एक सवा घण्टे अनिल अग्रवाल व एफ.ए. साहब द्वारा वार्तालाप की गई व 10.20 एएम पर रवाना होते समय का मोबाईल फोन से विडियो बनाया गया मकान के गेट से गाडी में बैठने तक का।

दिनांक 19.10.2021 को 16:56:51 पीएम पर अनिल अग्रवाल के मोबाईल नम्बर 9314874018 तथा श्रीकांत,एए के मोबाईल नम्बर 9414646836 पर हुई वार्ता – अनिल अग्रवाल

:– हैलो नमस्कार श्रीकांत जी, अभी कहां ऑफिस ही हो क्या? ....श्रीकान्तः– नहीं ऑफिस से निकल गया। ....अनिल अग्रवाल :– यार मुझे जो लिस्ट दी है न, तारीख वाली दिया करो, डेट वाली दिया करो।............ श्रीकान्त :– डेट भी? ....अनिल अग्रवाल :– हां दो चार जने नेतागिरी कर रहे है, ...श्रीकान्तः– अच्छा अच्छा ....अनिल अग्रवालः– क्या उसकी डेट से पता लग जाये, तो अपन दो चार दिन उपर नीचे कर ले।........श्रीकान्तः– यार अच्छा समझ गया। ....अनिल अग्रवालः– क्या आप मान लो जो नेतागिरी कर रहे हो 16–17 में है तो अपन खाली 15 तारीख कर ले तो सालों की अपने को सबक मिल जाये ना सही बात है। यार एक बार डेट वाली लिस्ट दे देना। ....श्रीकान्त :– यार हां आज तो निकल गया मैं, यार कल सुबह भेज दो। कल दे देंगे। ....अनिल अग्रवाल :– और आगे से ध्यान रखना डेट वाली फिर डेट वाली ही दिया करो। ठीक ठीक है ना। चलो करायो थोडी है, अबार नहीं करायो कोनी न, करिजो मत। जब तक मैं यस नहीं करूं। जब तक कराज्यों मत ....श्रीकान्त :– थांकी यस बस थांकी यस को ही इंतजार है।.........अनिल अग्रवाल :– हां हां बस मैं यस करूं जब कराज्यों। समझ रिया हो। बातचीत हो जावे यस कर जद ही तो करावा आपां, ... श्रीकान्त :– यार अनिल जी म्हं थांके सागे एक दिन बैठबो चाहूं, ...अनिल अग्रवाल :– आ जाओ तो, मेरा री स्कीम में मकान है। चाय वाय पिवां ला नास्तो कर लां...........श्रीकान्त :– एक दिन आउं छू। ....अनिल अग्रवाल :– है ना जब तक एक बात ध्यान राखज्यो जब तक मैं यस नहीं करूं जब तक कराज्यों मत, हां म्हं कह दू ला एफ.ए. साहब न। हां हां कई बार ओ करज्या बदमाशी। हां बदमाशी करज्या थे देख ज्यों म्हं थांको सारो सेटअप बठा द्यू लां। ठीक थे म्हारे पास आओला न म्हं थारो सारो सेटअप बठया दू लां ढंग से म्हं ई लिये ही थांसू एक बार मिलबो चाहूं। आ जाओ आ जाओ। ओ के बदमाशी कर जावे म्हं सब बदमाशी खत्म कर देलां। थे मेरे पास आ जाओ। ठीक छ न, ठीक अबार तो समझ ल्यों टीम वर्क छ, अपनों उपर वाली चैन भी है सेट छ। समझ ल्यों समझ रहिया छो के। उपर नीचे वाली दोनों ही जियां थे खेवलां वियां करवा देवां ला। ठीक ठीक छ।

दिनांक 21.10.2021 को 10:57:42 एएम पर अनिल अग्रवाल के मोबाईल नम्बर 9314874018 तथा श्रीकांत,एए के मोबाईल नम्बर 9414646836 पर हुई वार्ता :– अनिल अग्रवाल :– हां सर, नमस्कार नमस्कार श्रीकांत जी, क्या हाल चाल? ....श्रीकान्त :–बस ठीक हां, ...अनिल अग्रवाल :– कहां तक सलटा दिया, बीस तक सलटा दिया क्या? ....श्रीकान्त :– हां ....अनिल अग्रवाल :– जो अपनी लिस्ट थी वो पूरी सलटा दी क्या? ....श्रीकान्त :– हां वो सलटा दी। ....अनिल अग्रवाल :– इसमें कईयों का हुआ नहीं। इसमें क्या चक्कर रहा। ....श्रीकान्त :– हैं ....अनिल अग्रवाल :– कईयों का हुआ नहीं? इसमें कईयों का नहीं हुआ। कई ठेकेदारों के खाते में पैसे ही नहीं आये। ....श्रीकान्त :– यार आ जायेंगे। आ जायेंगे। ....अनिल अग्रवाल :– आ जायेंगे क्या? ....श्रीकान्त :– आ जायेंगे, नहीं आये तो बता देना। मालूम कर लेंगे, क्यों नहीं आये? ....अनिल अग्रवाल :– ठीक ठीक वो उसका भी कर दिया था। अपन किसका ....अस्पष्ट वार्ता.......... चलो आओ यार मेरे घर आओ। ....श्रीकान्त :– हां या तो आज आउंगा नहीं तो कल।..........अनिल अग्रवाल :– ठीक है। मेरे राज में परेशान नहीं होने दूंगा।

समय 11:42 एएम पर अनिल अग्रवाल के मोबाईल नम्बर 9314874018 तथा श्रीकांत,एए के मोबाईल नम्बर 9414646836 पर हुई वार्ता.......अनिल :– हैल्लो, एए श्रीकांत जी, जून की पूरी लिस्ट, जुलाई की पूरी लिस्ट, अगस्त की पूरी लिस्ट। तीन महिने की पूरी लिस्ट देवों ना। तारीख वाईज,........श्रीकान्त :– अअं आच्छा आ देणी पडेली क्या?...........अनिल :– हां तारीख वाईज दे दो ना। यार अपन आगे की प्लानिंग तो करां। साहब तो तुरंत प्रभाव आन तो हाथों म्हं सरसूं उगाव। हाथों में सरसूं कयां उग। देता ही शुरू हो जाव कि लाओ। हां शुरू हो जाव अबार शाम न दिया तो अब बोले सुबह दे दो।............अनिलः– हां यार इयां हाथां म्हं सरसू थोडी उगह थे म्हंन देवे ये तीनो लिस्टा व्हाटसअप कर दों अर काई छ म्हं इयां कह रियो वा अनिल

कोनी देवलों।..........श्रीकान्त :– बा लिस्ट तो एक बार एफ.ए. साहब आ जां, अबार म्हं ठीक है एफ.ए. साहब न कहं दूं ....अनिल :– ठीक छ ठीक छ। थे तो एफ.ए. साहब न कह दों वो अपन आप दिलाव नां ठीक छ ठीक छ यो काई नाटक ज्यादा करहं।

दिनांक 23.10.2021 को 12:10:11 एएम पर अनिल अग्रवाल के मोबाईल नम्बर 9314874078 तथा मो.नं. 9314531177 पर हुई वार्ता– अनिल :– हैल्लो, ...गोविन्द :– हां भाईसाहब,.........अनिलः– अं काई नहीं बताओ,............गोविन्द :– क्या बिजि हो रहा था क्या? ....अनिल :– ना बिल्कुल फ्री ....गोविन्द :– यार तेरे पास बहुत काम है। फ्री कैसे बैठा है। ....अनिल :– बिल्कुल फ्री, दादा आज कल अपन टेंशन नहीं लेते, होगा वो जो गोविंद चाहेगा। वो ही होगा।.............गोविन्द :–एक बात ग्रेटर में जो बिल विल किसी से पास कराता है सीओ से, सीओ के बिल किससे करवाता है?.............अनिल :– तेरा क्या काम है?............गोविन्दः– एक एसडी पडी है। बहुत टाईम हो गया से पहले वो कर नहीं रहा था। अब कर रहा है तो पहले बोला दो टका, अब कल बोला तीन टका, बडी लूट मचा रखी है। अब एसडी पर तीन टका बता, कल फोन आया तीन टका.............अनिल :– में करवा लूंगा। तू मस्त रह। ....गोविन्द :– किससे करवायेगा,...........अनिल :– भैया दूझे बता दूंगा, वहां कोई भी कागज बिना सिस्टम के नहीं निकलता...............गोविन्द :– तीन टका लेगें क्या...........अनिल :– नहीं दो–दो गलत किसने कहा, किसने कहा उसके नम्बर दे, सुन मेरी बात तू फोन पर ऐसी बातें मत किया कर मरायेगा व्हाटसअप कर लिया कर मेरे को मरवायेगा।...........गोविन्द :– व्हाटसअप कर रहा हूं व्हाटसअप।

दिनांक 27.10.2021 को संदिग्ध अधिकारियों तथा प्राईवेट ठेकेदारों की निगरानी के दौरान श्री अचलेश्वर मीणा, एफ.ए. मीणा अपने घर से समय 9:30 एएम पर गाड़ी नम्बर आरजे–14, टीई–0430 से रवाना होकर समय 10:10 एएम पर सी–स्कीम पर स्थित अनिल अग्रवाल के घर पहुंचा। गाड़ी से उतरकर हाथ में छोटा जुट का बैग लेकर अनिल के घर में प्रवेश किया तथा समय 11:11 एएम पर अनिल कुमार के घर से हाथ में एक सफेद रंग की थैली लेकर निकला। अनिल अग्रवाल के घर के बाहर निगरानी में मुकीम मन् पुलिस निरीक्षक तथा कानि0 पन्नालाल नं0 09 द्वारा फोटो व विडियो बनाये गये तथा श्री अचलेश्वर मीणा, एफए की गाड़ी नं0 आरजे 14 टीई 0430 का गोपनीय तौर पर पीछा किया गया तो श्री अचलेश्वर मीणा, एफए अपनी गाडी से नगर निगम, ग्रेटर जयपुर पहुंचा।

दिनांक 28.10.2021 सुबह 8:00 एएम से एफ.ए. के घर आस–पास मन् पुलिस निरीक्षक, कानि. पन्नालाल नं. 09, रमजान अली नं0 466 गोपनीय तौर पर निगरानी में मुकीम थे तब निगरानी के दौरान समय 8:35 एएम पर धन कुमार अपनी गाड़ी आरजे–14, वाईसी–2767 से उतरकर श्री अचलेश्वर मीणा,एफ.ए के घर पहुंचा। उस समय श्री अचलेश्वर मीणा, एफ.ए के घर पर ही था, तत्पश्चात समय 9:30 एएम पर धन कुमार एफ.ए के घर से गाड़ी नं0 आरजे 14 वाईसी 2767 से रवाना हो गया। समय 10:10 एएम पर गोविन्द अग्रवाल उर्फ गोपी गाड़ी नम्बर आरजे 45 सीके 4433 गाड़ी से एफ.ए. के घर पहुंचा। समय 10:50 एएम पर गोपी की गाड़ी में उसके साथ श्री अचलेश्वर मीणा, एफए गाडी में बैठकर घर से रवाना हुआ तथा पीछे–पीछे गाड़ी संख्या आरजे–14 टीई 6005 को ड्राईवर लेकर गांधी सर्किल से टोंक रोड़ की ओर जाने वाली रोड़ पर जाने लगा, जिस पर गोपनीय तौर पर उक्त वाहनों का पीछ किया गया तो उक्त वाहन एक जैन मंदिर के सामने रूके एफ.ए ने अपनी गाड़ी नं. आरजे–14, टीई–6005 से लिफाफा लिया और वापस गोपी की गाड़ी नं0 आरजे 45 सीके 4433 में बैठकर रवाना हो गया तथा गाड़ी संख्या आरजे–14, टीई–6005 को ड्राईवर जयपुर निगर निगम ग्रेटर लेकर चला गया। समय 11:10 एएम पर गाड़ी संख्या आरजे 45 सीके 4433 जयपुर नगर निगम से पहले मैन टोंक रोड़ पर बनी दुकान सिंगल बदर्स के पास रूकी तथा गोपी तथा श्री अचलेश्वर मीणा, एफए दोनों गाडी से उतरकर दूकान की सीडीयों से ऊपर चले गये। समय 11:24 एएम पर दोनों सीडीयों से उतरकर गाड़ी संख्या आरजे 45 सीके 4433 में बैठे तथा पीछे की सीट पर दो लड़के बैठे एक के हाथ में दो सफेद बड़ी थैली तथा दूसरे व्यक्ति के पीठू बैग रंग काला था चारों रवाना होकर

गाड़ी संख्या आरजे 45 सीके 4433 से जयपुर नगर निगम, ग्रेटर मैन पोर्च में रूके, एफ.ए व दोनों लड़के उतरकर जयपुर नगर निगम, ग्रेटर के अन्दर चले गये तथा गोपी ने गाड़ी पीछे की तरफ ले जाकर गाड़ी पार्क कर दी। गोपी उतरकर आईसीआईसीआई बैंक में चला गया व एफ.ए व दोनों लड़कों के उतरते समय का व रवाना होते समय का फोटो लिया गया, जिसमें साफ–साफ दिख रहा है एक लड़के ने दो थैली हाथ में लटकाये व एक ने पीठ पर बैग ले के एफ.ए के साथ नगर निगम, ग्रेटर में प्रवेश कर दिया।

दिनांक 26..10.2021 को श्री अचलेश्वर मीणा, एफए के मोबाईल नम्बर 9166555111 तथा मोबाईल नम्बर 7976450779 के मध्य समय 14.49 पीएम पर किसी ठेकेदार से उसके कार्य/टेण्डर से सम्बंधित नगर निगम, ग्रेटर में काम पूर्ण करवाने के लिये दो प्रतिशत कमीशन की मांग करने के सम्बंध में वार्ता की गई है। श्री अचलेश्वर मीणा द्वारा उक्त वार्ता में दो प्रतिशत कमीशन की मांग करने तथा एक प्रतिशत स्वयं के लिये तथा एक प्रतिशत वार्ता करने वाले व्यक्ति के लिये मांग करने हेतु कह रहा है।

दिनांक 02.11.2021 को श्री अनिल अग्रवाल के मोबाईल नम्बर 9314874078 तथा लेडलाईन नम्बर 1412740140 के मध्य समय 13.40.13 पीएम पर एफ.ए. व अनिल अग्रवाल के मध्य हुई बातचीत में नगर निगम, ग्रेटर के ठेकेदारों से उनके कार्यों के बिलों के नगर निगम से समय पर भुगतान करने की एवज में उगाई गई बतौर कमीशन रिश्वत राशि को लेने के लिये श्री अचलेश्वर मीणा द्वारा मुकेश नामक अपने ड्राईवर को भेजने की बात तथा जिस व्यक्ति को पैसे देने है उस व्यक्ति से अनिल अग्रवाल की मुलाकात के बारे वार्ता की गई है।

इसी क्रम में दिनांक 02.11.2021 को समय 13.42 एवं 13:49 पीएम पर मुकेश (एफए का ड्राईवर) के मोबाईल नम्बर 9001068662 व अनिल अग्रवाल के मोबाईल नम्बर 9314874078 के बीच हुई, जिसमें उपरोक्त वार्ता के अनुसरण में श्री मुकेश द्वारा किसी व्श्क्ति को अनिल अग्रवाल का घर दिखाने की बात कही गई है तथा अनिल अग्रवाल उस व्यक्ति को स्वयं से मिलवाने की बात कहता है। उक्त व्यक्ति की पहचान के लिये मुकेश स्वयं को एफए साहब के साथ होना व बात कर पुष्टि करवाने की बात अनिल अग्रवाल को कहता है।

दिनांक 02.11.2021 समय 14.41.01 पीएम पर अनिल अग्रवाल के मोबाईल नम्बर 9314874078 तथा उसकी पत्नि के मोबाईल नम्बर 9351904238 पर हुई वार्ता में श्री अनिल अग्रवाल द्वारा अपनी पत्नि को उसके द्वारा किसी अफसर से बात करके किसी व्यक्ति को दी गई ग्यारह लाख पिचानवे हजार रूपये राशि बिना पूछे तथा बिना पर्ची के दिये जाने के बारे में कहा गया है। इसके पश्चात श्री अनिल अग्रवाल द्वारा उक्त राशि के सम्बंध में समय 14.43 पीएम पर मुकेश (एफए का ड्राईवर) के मोबाईल नम्बर 9001068662 पर वार्ता की गई जिसमें मुकेश के मोबाईल नम्बर पर श्री अचलेश्वर मीणा, एफए द्वारा उक्त राशि प्राप्त करने की पुष्टि की गई है।

इस प्रकार उपरोक्त वार्ताओं एवं दिगर अंतावरोध वार्ताओं तथा निगरानी से यह प्रकट हुआ है कि श्री अचलेश्वर मीणा, वितीय सलाहकार, नगर निगम, ग्रेटर, जयपुर, श्री यतेन्द्र सांखला, सहायक लेखाधिकारी, नगर निगम, ग्रेटर, जयपुर, श्रीकान्त पारीक, एए एवं अन्य द्वारा नगर निगम ग्रेटर के टैण्डर प्रदान किये जाने से लेकर, कार्य के निरीक्षण, माप तथा बिल अग्रेषित एवं भुगतान किये जाने के लिये बतौर कमीशन पृथक–पृथक रिश्वत राशि दलाल श्री धनकुमार, गोविन्द्र कुमार, अनिल अग्रवाल, गंगाराम मीणा तथा अभिषेक जैन उर्फ टीटू एवं अन्य के माध्यम से प्राप्त की जाती है। उपरोक्त दलालों द्वारा नगर निगम ग्रेटर के टैण्डर प्रदान किये जाने से लेकर, कार्य के निरीक्षण, माप तथा बिल अग्रेषित एवं भुगतान समय पर करवाने की एवज में सम्बंधित फर्म/ठेकेदारों से भारी रिश्वत राशि प्राप्त की जाकर उसी समय या साप्ताहिक या मासिक अवधि में एक मुश्त राशि नगर निगम, ग्रेटर में पदस्थापित उपरोक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को पहुंचाई जाती है। उपरोक्त दलालों द्वारा सम्बंधित फर्म/ठेकेदारों से टेण्डर/बिल आदि के कमीशन के तौर पर स्वयं के लिये तथा नगर निगम, ग्रेटर में पदस्थापित

उपरोक्त अधिकारियों / कर्मचारियों प्राप्त की जाती है। उपरोक्त दलालों द्वारा अनेक बार नगर निगम, ग्रेटर में पदस्थापित उपरोक्त अधिकारियों / कर्मचारियों को रिश्वत राशि दिये जाने के तथ्य भी सामने आये है। अंतावरोध वार्ताओं में नगर निगम, ग्रेटर में पदस्थापित उपरोक्त अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा नगर निगम ग्रेटर के टैण्डर प्रदान किये जाने से लेकर, कार्य के निरीक्षण, माप तथा बिल अग्रेषित एवं भुगतान किये जाने के लिये सम्बंधित फर्म / ठेकेदारों से बतौर कमीशन उपरोक्त दलालों से रिश्वत राशि की मांग की जाने और रिश्वत प्राप्त करने के तथ्य भी उजागर हुए है। इस प्रकार नगर निगम, ग्रेटर, जयपुर में व्याप्त व्यापक भ्रष्टाचार के नेटवर्क में उच्च स्तर के अधिकारियों एवं अन्य अधिकारियों / कर्मचारियों की संलिप्तता संदिग्ध नजर आती है, क्योंकि नगर निगम में टेण्डर, निरीक्षण, माप तथा बिल अग्रेषित एवं भुगतान की प्रकिया में उच्च स्तर के अधिकारी भी सम्मिलित होते है। जिनके हस्ताक्षरों से प्रकिया सम्पन्न होती है। श्री अचलेश्वर मीणा, वितीय सलाहकार, नगर निगम, ग्रेटर, जयपुर, श्री यतेन्द्र सांखला, सहायक लेखाधिकारी, नगर निगम, ग्रेटर, जयपुर, श्रीकान्त पारीक, एए एवं अन्य द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर नगर निगम ग्रेटर के टैण्डर प्रदान किये जाने से लेकर, कार्य के निरीक्षण, माप तथा बिल अग्रेषित एवं भुगतान किये जाने के लिये बतौर कमीशन (दो से तीन प्रतिशत) रिश्वत प्राप्त किया जाना प्रकट हुआ है। सूत्र सूचना एवं संदिग्ध की मानवीय निगरानी से यह ज्ञात हुआ है कि आज दिनांक 07.01.2022 को श्री अचलेश्वर मीणा, वितीय सलाहकार तथा दलाल धन कुमार आपस में मिलकर एकत्रित कर लाई गई रिश्वत राशि का आदान–प्रदान करने वाले है। जिस पर श्री अचलेश्वर मीणा की निगरानी में कानि0 श्री देवेन्द सिंह एवं श्री मनीष सिंह को बाद आवश्यक हिदायत मामूर किया गया। समय 09:20 एएम पर कानि0 श्री देवेन्द्र सिंह ने मन् निरीक्षक पुलिस को जरिये दूरभाष अवगत कराया कि श्री अचलेश्वर मीणा एवं श्री धनकुमार दोनों होटल मेरियट के सामने की रोड पर मिल चुके है तथा श्री अचलेश्वर मीणा अपनी गाडी लेकर अपने निवास स्थान में गया है जिसके हाथ में एक काले रंग की थेली है जिसमें एकत्रित की गई रिश्वती राशि है। अगर अभी उसके मकान की तलाशी ली जाये तो उक्त रिश्वती राशि संदिग्ध अधिकारी के कब्जे से बरामद हो सकती है।

इस प्रकार संदिग्धान के मध्य की अन्तावरोध वार्ताओं को सुनने तथा निगरानी में मामूर कानि0 द्वारा दी गई सूचना के सन्दर्भ में संदिग्ध अधिकारी श्री अचलेश्वर मीणा वितीय सलाहकार के निवास स्थान की आकस्मिक चैकिंग करने पर भारी मात्रा में रिश्वत राशि की बरामदगी के साथ–साथ नगर निगम, ग्रेटर, जयपुर में व्याप्त व्यापक भ्रष्टाचार का खुलासा होना संभव है।

उक्त सूत्र सूचना विश्वसनीय होने तथा तकनीकी सहायता एवं मानवीय निगरानी से सूत्र सूचना के तथ्यों की पुष्टि होने से सूत्र सूचना श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, विशेष अनुसंधान ईकाई, भ्रनिब्यूरो, जयपुर को प्रस्तुत कर हालात निवेदन किये गये। जिस पर श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा तुरन्त प्रभाव से नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किये गये।

उक्त सूत्र सूचना प्राप्त होने पर कार्यालय हाजा के समस्त अधिकारीगण एवं स्टाफ को उक्त सूत्र सूचना से अवगत करवाकर गोपनीयता रखते हुए कार्यवाही हेतु तैयार रहने के निर्देश दिये गये तथा अग्रिम कार्यवाही हेतु पूर्व के पाबन्द शुदा स्वतंत्र गवाह श्री राजेश कुमार गोयल पुत्र श्री घनश्याम दास गुप्ता, उम्र 54 साल निवासी 192, छेलो का रास्ता जलेबी चौक, ब्रम्हपुरी त्रिपोलिया बाजार, जयपुर हाल सहायक प्रशासन अधिकारी, पीएचईडी, सब–10, दक्षिण महेश नगर जयपुर एवं श्री कुलदीप शर्मा पुत्र श्री रामअवतार शर्मा उम्र 27 साल निवासी निकटपुर, तहसील कठूमर, जिला अलवर हाल प्रयोगशाला कनिष्ठ सहायक, कार्यालय मुख्य रसायनज्ञ, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान जयपुर को गोपनीय कार्यवाही में गवाह बनने की सहमति चाहे जाने पर उक्त दोनों गवाहान द्वारा पृथक–पृथक अपनी मौखिक सहमति प्रदान की।

तत्पश्चात मन् निरीक्षक पुलिस मय उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान मय श्री सचिन शर्मा, उप अधीक्षक पुलिस, श्री कमलनयन, उप अधीक्षक पुलिस, श्री सुभाष कानि0 465, श्री रवीन्द्र कानि0 365, श्री पन्नालाल कानि0 09, श्री अमित कानि0 489, श्री धर्मसिंह कानि.249, श्री दिलावर कानि. 241, श्री विनोद कानि. 246 व श्रीमती संतोष महिला कानि0 226 मय सरकारी एवं प्राईवेट वाहनों के मय लेपटॉप प्रिंटर मय ट्रेप बॉक्स के उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार श्री अचलेश्वर मीना के निवास स्थान के पास समय करीब 11:00 एएम पर पहुंचा, जहां पर श्री देवेन्द्र कानि. व मनीष कुमार कानि. अपनी टीम के उपस्थित मिले। जिन्होंने बताया कि कुछ समय पूर्व ही श्री अचलेश्वर मीना एक थैली गहरे ग्रे कलर की को लेकर मकान में प्रवेश किया है। तत्पश्चात मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान जाब्ते व उपरोक्त गवाहान के साथ संदिग्ध अधिकारी श्री अचलेश्वर मीणा के उक्त मकान के मुख्य दरवाजे के सामने पहुंचा, जहां दरवाजे के सामने एक सफेद रंग की कार (ईटियोस, टोयोटा) जिसके नम्बर आरजे 14 टीई 6005 खडी हुई मिली, जिसकी ड्राईवर सीट पर एक व्यक्ति बैठा मिला। जिसको मन् निरीक्षक पुलिस ने अपना परिचय देकर नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री खेमेन्द्र कुमार मीणा पुत्र कन्हैयालाल मीणा उम्र 24 साल निवासी ग्राम दोलतपुरा पुलिस थाना लालसोट जिला दौसा हाल ड्राईवर गाडी सं. आरजे 14 टीई 6005 होना बताया। तत्पश्चात मन् निरीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र मौतबिरान के साथ श्री अचलेश्वर मीना मकान के मुख्य दरवाजे पर जाकर डोरबेल बजाई, जिस पर घर के अन्दर से एक महिला बाहर आई। जिसको मन् निरीक्षक पुलिस ने नाम पता पूछा तो उसने बताया कि मैं तो यहां मकान में साफ–सफाई करने आई हूं। यह मकान श्री अचलेश्वर मीणा का है। जिस पर उक्त महिला को श्री अचलेश्वर मीना के बारे में पूछने पर बताया कि अचलेश्वर जी घर के अन्दर ही है। उसी समय घर के अन्दर से एक व्यक्ति बाहर आया जिसने बताया कि मैं ही अचलेश्वर हूं। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान के अपना तथा हमराहियान का परिचय देकर नाम पता पूछा तो जिसने अपना नाम श्री अचलेश्वर मीना पुत्र श्री जटाशंकर जाति मीना होना बताया। जिसको मन् निरीक्षक पुलिस ने अपने आने का प्रयोजन बताते हुये अभी–अभी एक थैली गहरे ग्रे कलर की थैली में धन कुमार से प्राप्त कर लाये गये रूपयों के बारे में पूछा तो श्री अचलेश्वर मीणा ने कोई रूपये नहीं लाना बताया। जिस पर पुनः मन् पुलिस निरीक्षक ने श्री अचलेश्वर को श्री धनकुमार से लाये गये रूपयों के सम्बंध में पूछा तो श्री अचलेश्वर मीणा ने कोई संतोषप्रद जवाब नहीं देकर कोई रूपये लाना नहीं बताया। चूंकि श्री अचलेश्वर मीणा की निगरानी में मामूर कानि0 श्री देवेन्द्र सिंह तथा श्री मनीष सिंह ने अचलेश्वर को रूपये धनकुमार से लेकर अपने घर में ले जाते हुये देखा है। सम्भव है कि श्री अचलेश्वर मीना ने रिश्वत की राशि अपने मकान में कही छुपा दी है तथा वह अब बताना नहीं चाहता है। उक्त राशि की बरामदगी हेतु श्री अचलेश्वर मीणा के उक्त मकान की खाना तलाशी ली जाना आवश्यक है। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस ने उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान के समक्ष श्री अचलेश्वर मीणा को उसके मकान की खाना तलाशी लिये जाने के बारे में अवगत कराकर स्वयं तथा हमराहियान की जामा तलाशी हेतु कहा गया तो श्री अचलेश्वर मीणा ने स्वतंत्र गवाहान के समक्ष संतोष जाहिर करते हुये स्वेच्छा से जामा तलाशी लेने हेतु इंकार किया। तत्पश्चात उक्त मकान की खाना तलाशी प्रारम्भ की गई। दौराने खाना तलाशी एक कम्प्यूटर राईज्ड लिस्ट जिसमें विभिन्न कॉन्ट्रेक्टरों के नाम के आगे नम्बर पॉईन्टस मे धनराशि लिखी हुई है कुल 4 पेज– जिसमें प्रथम पेज में उपर ही उपर 03/07/2020 श्री श्याम बिल्डरस एण्ड कॉन्ट्रेक्टर 10.42 लिखा हुआ है व अंतिम पेज में 31/07/2020 गुरू कन्श. कॉ 6.11 लिखा हुआ है। जिसके बारे में श्री अचलेश्वर मीना से पूछने पर बताया कि ये कागज मुझे धनकुमार देकर गया है। उक्त 4 पेज संदिग्ध होने से संबंधित के हस्ताक्षर करवा कर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया तथा नेटवर्क विडियो रिकोर्डर विदआउट हार्डडिस्क एस.न. 6के040ई5पीएजेडबीबीई22 को कब्जा एसीबी लिया गया।

खाना तलाशी के दौरान ही श्री गोविन्द कुमार अग्रवाल उर्फ गोपी अग्रवाल पुत्र श्री रूडवल अग्रवाल जाति महाजन उम्र 45 साल निवासी प्लाट न0 167, मानसागर विस्तार बुद्धसिंहपुरा,

सांगानेर जो श्री अचलेश्वर मीना के मकान में आया जिसको आने का प्रयोजन पूछा तो श्री अचलेश्वर मीना से मिलने आना व एक एक सूची 1 से लगायात 18 पेज जिसमें जुलाई माह 2020 से दिनांक 29.12.2021 तक सिविल कान्ट्रेक्टर्स के निर्माण कार्यो की बकाया राशि 5964.96 लाख रूपये जयपुर नगर निगम ग्रेटर के लगभग 150—200 ठेकेदारों के बकाया है जो श्री अचलेश्वर मीना ने मुझे उपलब्ध करवायी थी के संबंध में अचलेश्वर मीना जी से चर्चा करने आना बताया। उक्त 1 से लगायत 18 पेज को संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। दौराने खाना तलाशी श्री मुकेश कुमार सैनी, जो श्री अचलेश्वर मीणा का ड्राईवर है को तलब करने पर श्री मुकेश कुमार सैनी श्री अचलेश्वर के उक्त मकान पर उपस्थित आया। जिसको मन् निरीक्षक पुलिस ने नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री मुकेश कुमार सैनी पुत्र श्री विजय सैनी उम्र 31 साल निवासी ग्राम छावा छोटा पुलिस थाना मण्डवारिया जिला दौसा हाल चालक गाडी नं. आरजे 14 टीई 6005 होना बताया। जिसको दिनांक 02.11.2021 को श्री अनिल अग्रवाल से जरिये मोबाईल हुई वार्ता के सम्बंध में पूछा तो श्री मुकेश कुमार सैनी ने बताया कि मेरे को श्री अचलेश्वर मीणा ने एक व्यक्ति से मिलाकर कहा था कि इसको श्री अनिल अग्रवाल के घर पर जाकर उनसे मिलवाना है। मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता मैंने श्री अचलेश्वर मीणा के कहने पर ही उस व्यक्ति को साथ में लेकर श्री अनिल अग्रवाल के घर पर लेकर गया था जहां पर श्री अनिल अग्रवाल नहीं मिले थे। फिर उस व्यक्ति के कहे अनुसार मैंने उसको विधानसभा के पास छोड दिया था। उसके बाद में मैं साहब श्री अचलेश्वर मीणा के साथ था तब मेरे फोन पर श्री अनिल अग्रवाल का फोन आया था तब मेरे फोन से श्री अचलेश्र मीणा ने ही अनिल अग्रवाल से बातचीत की थी।

दौराने खाना तलाशी काफी प्रयास करने के उपरान्त भी सूत्रसूचना के अनुसार एवं श्री देवेन्द्र व श्री मनीष द्वारा दी गई मौके की सूचना के अनुसार श्री अचलेश्वर मीना के द्वारा रिश्वत राशि एक गहरे ग्रे की थैली में लेकर घर पहुंचा, वह राशि काफी प्रयासों के बाद दौराने खाना तलाशी बरामद नहीं हुई। केवल उक्त हुलिये की गहरे ग्रे की थैली जिसके कुन्दे नारंगी रंग के है खाली मिली जो वजह सबूत कब्जा एसीबी ली गई। काफी प्रयास के बाद भी आरोपी द्वारा लाई गई उक्त रिश्वत राशि प्राप्त नहीं हुई। निसन्देह उसको आरोपी द्वारा खुर्द बुर्द कर दिया गया।

दौराने अन्तावरोध संदिग्धान के परस्पर पर होने वाली वार्ताओं को सुनने से संदिग्ध प्राईवेट व्यक्ति (दलाल) श्री धनकुमार तथा श्री अनिल अग्रवाल द्वारा नगर निगम ग्रेटर में पदस्थापित अधिकारियों तथा स्वयं के लिये भारी मात्रा में रिश्वती राशि एकत्रित करने की पूर्ण सम्भावना होने से उक्त दोनों के निवास की भी खाना तलाशी लिवाई जाना अत्यन्त आवश्यक है। जिस हेतु उच्चाधिकारियों को निवेदन कर उक्त दोनों संदिग्ध व्यक्तियों के निवास स्थान की खाना तलाशी लिवाई गई।

तत्पश्चात श्री अचलेश्वर मीणा के निवास स्थान की खाना तलाशी मूर्तिब की जाकर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार श्री अचलेश्वर मीणा एवं अन्य संदिग्धान श्री धन कुमार तथा अनिल अग्रवाल को रूबरू कर अनुसंधान किया जाना है जिस हेतु श्री अचलेश्वर मीणा को हमराह लेकर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान के ब्यूरो मुख्यालय पहुंचा। ब्यूरो मुख्यालय पर श्री भंवर सिंह, पुलिस निरीक्षक, भ्रनिब्यूरो, जयपुर शहर द्वितीय ने डिटेन शुदा आरोपी श्री धनकुमार मय फर्द खाना तलाशी को प्रस्तुत करने पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा सूत्र सूचना में वर्णित तथ्यों के सम्बन्ध में पूछताछ की गई। दौराने पूछताछ श्री धनकुमार ने बताया कि श्री प्रियवत चारण (पूर्व उपायुक्त जोन—गार्डन ग्रेटर, नगर निगम) को उनके व्हाट्सअप्प मैंसेज, जिसमें श्री राजेश कुमार देवतवाल के खाता सं. 51100106072 भेजने पर मैंने 10,000/— रूपये दिनांक 31.10.2021 को उक्त बैंक खाते में मेरे आईसीआईसीआई बैंक खाता सं0 6703500373 से ट्रांसफर किये थे। इससे पहले भी प्रियवत चारण को उनके कहने पर मैंने मरपत संधू के बैंक खाता सं0 ....2023 (एसबीआई) में फोन पे के जरिये पैसे ट्रांसफर

किये है। पैसे ट्रांसफर का फोन पे मैंसेज में उनके व्हाट्सअप पर मेरे मोबाईल से भेज देता था। उक्त राशि क्यों भेजी गई इस सम्बंध में पूछने पर श्री धनकुमार ने बताया कि मैं नगर निगम का ठेकेदार हूं अगर इन अधिकारियों के मांगने पर मैं इनको राशि नहीं भेजता तो फिर ये मेरा काम बंद करवा देते। मेरे बिल आदि पास करवाने में दिक्कत करते। मैं नगर निगम, जयपुर को पुराना ठेकेदार हूं इसलिये नगर निगम, ग्रेटर में पदस्थापित अधिकारियों से मेरी जान पहचान है। इसलिये नगर निगम, ग्रेटर, जयपुर में पदस्थापित अधिकारीगण मुझसे कई फर्मों के ठकेदारों (जिनका कार्य नगर निगम, ग्रेटर, जयपुर से सम्बंधित है) से उनके पैण्डिंग बिलों को अग्रेषण तथा भुगतान करने की एवज में बिल की राशि में से बतौर कमीशन रिश्वत राशि एकत्रित करवाकर उक्त रिश्वत राशि मुझसे प्राप्त करते है। वर्तमान में नगर निगम, ग्रेटर, जयपुर में पदस्थापित श्री अचलेश्वर मीणा हमसे किसी भी फर्म के बिल अग्रेषित/भुगतान करवाने की एवज में बिल की राशि का आधा प्रतिशत, आयुक्त नगर निगम ग्रेटर जयपरु श्री यज्ञमित्र सिंह देव बिल की राशि का 02 प्रतिशत, अकाउन्टेट एवं एएओ को बिल की राशि का 1/4 प्रतिशत, क्लर्क को 0.012 प्रतिशत व मुख्यालय को बिल की राशि का 1/2 प्रतिशत के हिसाब से बतौर कमीशन की मांग करने पर हमारे द्वारा उपरोक्तानुसार संबंधित फर्म के ठेकेदारों से उनके बिलो को अग्रेषित एवं भुगतान करवाने के एवज में रिश्वती राशि एकत्रित कर संबंधित अधिकारी को दी जाती है। जिससे सूत्र सूचना में अकिंत तथ्यों की पूर्ण रूपेण पुष्टि होना पाया गया।

सूत्र सूचना पर अब तक हुई कार्यवाही से आरोपी श्री धनकुमार का श्री अचलेश्वर मीणा वित्तीय सलाहकार जयपुर नगर निगम ग्रेटर जयपुर के घर पर आना जाना तथा प्रियव्रत चारण पूर्व आयुक्त नगर निगम जयपुर के मोबाईल नम्बर 8769449191 के कहे अनुसार आरोपी धनकुमार द्वारा संदिग्ध व्यक्ति श्री राजेश कुमार देवतवाल के एसबीआई बैंक खाता संख्या 51100106072 तथा मरपत संन्धु के एसबीआई के खाता संख्या जिसके अन्तिम चार अकं 2023 है में श्री धनकुमार द्वारा स्वंय के फोनपे से दिनांक 31.010.2021 व पूर्व में भी कई बार आईसीआईसीआई बैंक खाता संख्या ......73 से रूपये ट्रांसफर करना श्री अचलेश्वर मीणा वित्तीय सलाहकार द्वारा श्री धनकुमार को नगर निगम ग्रेटर जयपुर के पचास–साठ ठेकेदारों के माह जुलाई 2020 के पैण्डिंग बिलों की सूची को वापस एफए को देना तथा पैण्डिग बिलो में से 4.10 करोड़ के बिलो की एवज में ठेकेदारो से कमीशन की उगाही होने तथा श्री अचलेश्वर मीणा वित्तीय सलाहकार द्वारा सारे पैण्डिंग बिलो के भुगतान के कमीशन की उगाही करने की कहना सारे बिलों की भुगतान के एवज में कमीशन राशि नही होने की कहते हुए उक्त सूची श्री धनकुमार द्वारा वापस श्री अचलेश्वर मीणा वित्तीय सलाहकार को देना एवं श्री अचलेश्वर मीणा वित्तीय सलाहकार के घर खाना तलाशी में उक्त पैण्डिंग बिल सूची बरामद होना, संदिग्ध परिस्थितियों में श्री धन कुमार का एफए के घर जाना एंव श्री धनकुमार के घर से तलाशी में 27 लाख रूपयें की संदिग्ध राशि का मिलना आदि पाया गया है।

प्रकरण में आरोपी श्री अनिल अग्रवाल के दौराने अन्तावरोध लिए गए मोबाईल नम्बर 9314874078 पर संदिग्ध अधिकारी श्री अचलेश्वर मीणा से रिश्वत राशि आदान प्रदान करने के संबंध में वार्ता की गई है जो वार्ता दौराने अन्तावरोध रिकॉर्ड/सेव की गई है उक्त वार्ताओं को स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष सरकारी लेपटॉप में लोड कर आरोपी श्री अचलेश्वर मीणा को सुनाया जाकर उपरोक्त वार्ता के संबंध में पूछताछ की गई। तत्पशचात उक्त वार्ताओं की नियमानुसार फर्द वार्ता रूपान्तरण मुर्तिब की जाकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये तथा उक्त वार्ताओं को लेपटॉप की सहायता से नियमानुसार सीडीओं में लोड कर सीडीया तैयार की गई जाकर कब्जा एसीबी ली गई।

सूत्र सूचना के अवलोकन एवं अब तक की कार्यवही एंव उपलब्ध साक्ष्यों से आरोपी श्री अचलेश्वर मीणा पुत्र श्री जटाशंकर मीणा निवासी मकान नम्बर ए–800, सिद्धार्थ नगर, जैन मंदिर, जवाहर सर्किल के पास, जयपुर हाल वित्तीय सलाहकार, नगर निगम, ग्रेटर, जयपुर द्वारा अवैध

रूप से अन्य आरोपीगण श्री धनकुमार जैन, श्री अनिल अग्रवाल एवं अन्य प्राईवेट व्यक्ति (दलाल) तथा नगर निगम ग्रेटर, जयपुर में पदस्थापित अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों से रिश्वत प्राप्त करने के दुराश्य से मिलीभगत कर अपने पद का दुरूपयोग कर नगर निगम ग्रेटर के टैण्डर प्रदान किये जाने से लेकर, कार्य के निरीक्षण, माप तथा बिल अग्रेषित एवं भुगतान किये जाने के लिये बतौर कमीशन (दो से तीन प्रतिशत) रिश्वत का आदान प्रदान तथा दिनांक 07.01.2022 को रिश्वती राशि परस्पर आदान–प्रदान कर खुर्द–बुर्द करना प्रमाणित पाये जाने से उक्त आरोपी के विरूद्व जुर्म धारा–7, पी.सी.(संशोधन) एक्ट 2018 तथा 201,120 बी भादसं का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने पर आरोपी श्री अचलेश्वर मीणा पुत्र श्री जटाशंकर मीणा निवासी मकान नम्बर ए–800, सिद्धार्थ नगर, जैन मंदिर, जवाहर सर्किल के पास, जयपुर हाल वित्तीय सलाहकार, नगर निगम, ग्रेटर, जयपुर को जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया।

इसी कम में आरोपी श्री धनकुमार जैन से हुई पूछताछ तथा सूत्र सूचना में अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री धनकुमार द्वारा नगर निगम, ग्रेटर जयपुर में पदस्थापित अधिकारियों/कर्मचारियों से अवैध रूप से मिलीभगत कर नगर निगम, ग्रेटर जयपुर के ठेकेदारों के बिलों का भुगतान करवाने के एवज में संबंधित ठेकेदारों से बिलो की राशि का बतौर कमीशन रिश्वत राशि की उगाही करने के लिये आरोपी श्री अचलेश्वर मीणा वित्तीय सलाहकार, नगर निगम ग्रेटर, जयपुर से वार्ता करना तथा इसी सन्दर्भ में उसके घर पर आना जाना तथा प्रियव्रत चारण पूर्व आयुक्त नगर निगम, जयपुर को उसके कहे अनुसा बतौर कमीशन रिश्वती राशि प्रदान करना, नगर निगम ग्रेटर जयपुर के पचास–साठ ठेकेदारों के माह जुलाई 2020 के पैण्डिंग बिलों की सूची आरोपी श्री अचलेश्वर मीणा से आदान–प्रदान करना, श्री अचलेश्वर मीणा वित्तीय सलाहकार के घर खाना तलाशी में उक्त पैण्डिंग बिल सूची का बरामद होना, श्री धनकुमार के घर से तलाशी में 27 लाख रूपयें की संदिग्ध राशि का मिलना पाया गया। इस प्रकार उपरोक्त से आरोपी श्री धनकुमार जैन पुत्र स्व0 श्री छोटेलाल जैन उम्र 60 साल निवासी 7, श्रीजी नगर, दुर्गापुरा, जयपुर हाल नगर निगम, ग्रेटर, जयपुर में ठेकेदार द्वारा अवैध रूप से नगर निगम ग्रेटर, जयपुर में पदस्थापित आरोपी श्री अचलेश्वर मीणा, वितीय सलाहकार एवं अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों तथा अन्य ठेकेदारों (प्राईवेट व्यक्ति, दलालों) से रिश्वत आदान–प्रदान करने के दुराश्य से मिलीभगत कर नगर निगम ग्रेटर के टैण्डर प्रदान किये जाने से लेकर, कार्य के निरीक्षण, माप तथा बिल अग्रेषित एवं भुगतान किये जाने के लिये बतौर कमीशन (दो से तीन प्रतिशत) रिश्वत का आदान प्रदान करना प्रमाणित पाये जाने से उक्त आरोपी के विरूद्व जुर्म धारा–7ए, 8 पी.सी.(संशोधन) एक्ट 2018 तथा 120 बी भादसं का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने पर आरोपी श्री धनकुमार जैन पुत्र स्व0 श्री छोटेलाल जैन उम्र 60 साल निवासी 7, श्रीजी नगर, दुर्गापुरा, जयपुर हाल नगर निगम, ग्रेटर, जयपुर में ठेकेदार को जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया।

इसी कम में श्री कमलनयन, उप अधीक्षक पुलिस द्वारा डिटेन शुदा आरोपी श्री अनिल अग्रवाल को मय फर्द खाना तलाशी के मन् पुलिस निरीक्षक को प्रस्तुत करने पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा सूत्र सूचना में वर्णित तथ्यों के सम्बन्ध में आरोपी श्री अनिल अग्रवाल से पूछताछ की गई। आरोपी श्री अनिल अग्रवाल को अन्तावरोध पर दिनांक 02.11.2021 की रिकॉर्ड वार्ता की फर्द को स्वतंत्र गवाहान के समक्ष पढाया गया तथा अनुसंधान अधिकारी की सीडी प्रति से कम्प्यूटर की सहायता से आरोपी को रिकॉर्ड वार्ता को सुनाया जाकर उपरोक्त वार्ता के सम्बंध में आवश्यक पूछताछ की गई। सूत्र सूचना में अब तक के साक्ष्यों से तथा आरोपी से की गई पूछताछ से आरोपी श्री अनिल अग्रवाल पुत्र श्री ओमप्रकाश अग्रवाल उम्र 46 साल निवासी सी–27–बी, चौमू हाउस, पुलिस थाना विधायकपूरी, जयपुर हाल सरकारी ठेकेदार, नगर निगम, ग्रेट, जयपुर द्वारा अवैध रूप से नगर निगम ग्रेटर, जयपुर में पदस्थापित श्री अचलेश्वर मीणा, वित्तीय सलाहकार तथा अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों एवं अन्य ठेकेदारों (प्राईवेट व्यक्ति, दलालों) से रिश्वत आदान–प्रदान करने के दुराश्य से मिलीभगत कर नगर निगम ग्रेटर के टैण्डर

प्रदान किये जाने से लेकर, कार्य के निरीक्षण, माप तथा बिल अग्रेषित एवं भुगतान किये जाने के लिये बतौर कमीशन (दो से तीन प्रतिशत) रिश्वत का आदान प्रदान करना प्रमाणित पाये जाने से उक्त आरोपी के विरूद्व जुर्म धारा–7ए, 8 पी.सी.(संशोधन) एक्ट 2018 तथा 120 बी भादसं का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने पर आरोपी श्री अनिल अग्रवाल पुत्र श्री ओमप्रकाश अग्रवाल उम्र 46 साल निवासी सी–27–बी, चौमू हाउस, पुलिस थाना विधायकपूरी, जयपुर हाल सरकारी ठेकेदार, नगर निगम, ग्रेट, जयपुर को जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात उपरोक्त गिरफतारशुदा आरोपीगण का स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जाकर बंद हवालात कर सुपर्द संतरी पहरा किया गया।

सूत्र सूचना में अब तक हुई कार्यवाही एवं परिस्थितियों से आरोपीगण श्री अचलेश्वर मीणा, वितीय सलाहकार, नगर निगम, ग्रेटर, जयपुर, श्री यतेन्द्र सांखला, सहायक लेखाधिकारी, नगर निगम, ग्रेटर, जयपुर, श्रीकान्त पारीक, एए एवं अन्य द्वारा नगर निगम ग्रेटर के टैण्डर प्रदान किये जाने से लेकर, कार्य के निरीक्षण, माप तथा बिल अग्रेषित एवं भुगतान किये जाने के लिये बतौर कमीशन पृथक–पृथक रिश्वत राशि दलाल श्री धनकुमार, गोविन्द्र कुमार, अनिल अग्रवाल, गंगाराम मीणा तथा अभिषेक जैन उर्फ टीटू एवं अन्य के माध्यम से प्राप्त किया जाना पाया गया है। उपरोक्त दलालों द्वारा नगर निगम ग्रेटर के टैण्डर प्रदान किये जाने से लेकर, कार्य के निरीक्षण, माप तथा बिल अग्रेषित एवं भुगतान समय पर करवाने की एवज में सम्बंधित फर्म/ठेकेदारों से भारी रिश्वत राशि प्राप्त की जाकर उसी समय या साप्ताहिक या मासिक अवधि में एक मुश्त राशि नगर निगम, ग्रेटर में पदस्थापित उपरोक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को पहुंचाई जाना पाया गया। उपरोक्त दलालों द्वारा सम्बंधित फर्म/ठेकेदारों से टेण्डर/बिल आदि के कमीशन के तौर पर स्वयं के लिये तथा नगर निगम, ग्रेटर में पदस्थापित उपरोक्त अधिकारियों/कर्मचारियों प्राप्त की जाती है। उपरोक्त दलालों द्वारा अनेक बार नगर निगम, ग्रेटर में पदस्थापित उपरोक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को रिश्वत राशि दिये जाने के तथ्य भी सामने आये है। अंतावरोध वार्ताओं में नगर निगम, ग्रेटर में पदस्थापित उपरोक्त अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा नगर निगम ग्रेटर के टैण्डर प्रदान किये जाने से लेकर, कार्य के निरीक्षण, माप तथा बिल अग्रेषित एवं भुगतान किये जाने के लिये सम्बंधित फर्म/ठेकेदारों से बतौर कमीशन उपरोक्त दलालों से रिश्वत राशि की मांग की जाने और रिश्वत प्राप्त करने के तथ्य भी उजागर हुए है। इस प्रकार नगर निगम, ग्रेटर, जयपुर में व्याप्त व्यापक भ्रष्टाचार के नेटवर्क में उच्च स्तर के अधिकारियों एवं अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों की संलिप्तता संदिग्ध नजर आती है, क्योंकि नगर निगम में टेण्डर, निरीक्षण, माप तथा बिल अग्रेषित एवं भुगतान की प्रकिया में उच्च स्तर के अधिकारी भी सम्मिलित होते है। जिनके हस्ताक्षरों से प्रकिया सम्पन्न होती है। इस प्रकार आरोपीगण श्री अचलेश्वर मीणा, वितीय सलाहकार, नगर निगम, ग्रेटर, जयपुर, श्री यतेन्द्र सांखला, सहायक लेखाधिकारी, नगर निगम, ग्रेटर, जयपुर, श्रीकान्त पारीक, एए, श्री धनकुमार, गोविन्द्र कुमार, अनिल अग्रवाल, गंगाराम मीणा तथा अभिषेक जैन उर्फ टीटू एवं अन्य द्वारा अवैध रूप से मिलीभगत कर नगर निगम ग्रेटर के टैण्डर प्रदान किये जाने से लेकर, कार्य के निरीक्षण, माप तथा बिल अग्रेषित एवं भुगतान किये जाने के लिये सम्बंधित ठेकेदारों से उनकी बिल की राशि का बतौर कमीशन (दो से तीन प्रतिशत) रिश्वत राशि प्राप्त कर परस्पर आदान–प्रदान करना तथा आरोपी श्री अचलेश्वर मीणा द्वारा दिनांक 07.01.2022 को रिश्वती राशि खुर्द–बुर्द करना प्रमाणित पाये जाने से उपरोक्त आरोपीगणों के विरूद्व जुर्म धारा–7, 7ए, 8 पी.सी.(संशोधन) एक्ट 2018 तथा 201, 120 बी भादसं का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित होना पाया गया।

इस प्रकार प्राप्त सूत्र सूचना, अन्तावरोध वार्ताओ, तलाशी एंव तलाशी के दौरान मिली संदिग्ध राशि एंव अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्यों से आरोपीगण 1. श्री अचलेश्वर मीणा पुत्र श्री जटाशंकर मीणा निवासी मकान नम्बर ए–800, सिद्धार्थ नगर, जैन मंदिर, जवाहर सर्किल के पास, जयपुर हाल वित्तीय सलाहकार, नगर निगम, ग्रेटर, जयपुर 2. श्री धनकुमार जैन पुत्र स्व0 श्री छोटेलाल जैन उम्र 60 साल निवासी 7, श्रीजी नगर, दुर्गापुरा, जयपुर हाल नगर निगम, ग्रेटर,

जयपुर में ठेकेदार 3. श्री अनिल अग्रवाल पुत्र श्री ओमप्रकाश अग्रवाल उम्र 46 साल निवासी सी–27–बी, चौमू हाउस, पुलिस थाना विधायकपूरी, जयपुर हाल सरकारी ठेकेदार, नगर निगम, ग्रेट, जयपुर 4. श्री यतेन्द्र सांखला, सहायक लेखाधिकारी, नगर निगम, ग्रेटर, जयपुर, 5. श्रीकान्त पारीक, एए, 6. गोविन्द्र कुमार, प्राईवेट व्यक्ति (दलाल), 7. श्री गंगाराम मीणा, प्राईवेट व्यक्ति (दलाल), 8. श्री अभिषेक जैन उर्फ टीटू, प्राईवेट व्यक्ति (दलाल) एवं 9. नगर निगम, ग्रेटर जयपुर में पदस्थापित अन्य अधिकारीगण/कर्मचारीगण एवं अन्य प्राईवेट व्यक्ति/ठेकेदार/दलाल का कृत्य धारा भ्रष्टचार निवारण अधिनियम की धारा 7, 7ए, 8 पी.सी. (संशोधित) 2018 व 201, 120 बी भादस का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने पर आरोपीगण 1.श्री अचलेश्वर मीणा पुत्र श्री जटाशंकर मीणा निवासी मकान नम्बर ए–800, सिद्धार्थ नगर, जैन मंदिर, जवाहर सर्किल के पास, जयपुर हाल वित्तीय सलाहकार, नगर निगम, ग्रेटर, जयपुर 2. श्री धनकुमार जैन पुत्र स्व0 श्री छोटेलाल जैन उम्र 60 साल निवासी 7, श्रीजी नगर, दुर्गापुरा, जयपुर हाल नगर निगम, ग्रेटर, जयपुर में ठेकेदार 3. श्री अनिल अग्रवाल पुत्र श्री ओमप्रकाश अग्रवाल उम्र 46 साल निवासी सी–27–बी, चौमू हाउस, पुलिस थाना विधायकपूरी, जयपुर हाल सरकारी ठेकेदार, नगर निगम, ग्रेट, जयपुर को गिरफ्तार चुका है।

अतः आरोपीगण 1. श्री अचलेश्वर मीणः पुत्र श्री जटाशंकर मीणा निवासी मकान नम्बर ए–800, सिद्धार्थ नगर, जैन मंदिर, जवाहर सर्किल के पास, जयपुर हाल वित्तीय सलाहकार, नगर निगम, ग्रेटर, जयपुर 2. श्री धनकुमार जैन पुत्र स्व0 श्री छोटेलाल जैन उम्र 60 साल निवासी 7, श्रीजी नगर, दुर्गापुरा, जयपुर हाल नगर निगम, ग्रेटर, जयपुर में ठेकेदार 3. श्री अनिल अग्रवाल पुत्र श्री ओमप्रकाश अग्रवाल उम्र 46 साल निवासी सी–27–बी, चौमू हाउस, पुलिस थाना विधायकपूरी, जयपुर हाल सरकारी ठेकेदार, नगर निगम, ग्रेट, जयपुर 4. श्री यतेन्द्र सांखला, सहायक लेखाधिकारी, नगर निगम, ग्रेटर, जयपुर, 5. श्रीकान्त पारीक, एए, 6. गोविन्द्र कुमार, प्राईवेट व्यक्ति (दलाल), 7. श्री गंगाराम मीणा, प्राईवेट व्यक्ति (दलाल), 8. श्री अभिषेक जैन उर्फ टीटू, प्राईवेट व्यक्ति (दलाल) एवं 9. नगर निगम, ग्रेटर जयपुर में पदस्थापित अन्य अधिकारीगण/कर्मचारीगण एवं अन्य प्राईवेट व्यक्ति/ठेकेदार/दलाल का अपराध भ्रष्टचार निवारण अधिनियम की धारा 7, 7ए, 8 पी.सी. (संशोधित) 2018 व 201,120 बी भादसं का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने से उपरोक्त के विरूद्व विस्तृत अनुसंधान हेतु उपरोक्त धारा में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कमांकन हेतु प्रधान आरक्षी केन्द्र एसीबी मुख्यालय जयपुर को प्रेषित है।

(रघुवीर शरण शर्मा)
पुलिस निरीक्षक
विशेष अनुसंधान ईकाई,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,विअनुई, जयपुर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री रघुवीर शरण शर्मा, पुलिस निरीक्षक, विशेष अनुसंधान ईकाई, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए, 8 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 व 201, 120 बी भादंसं आरोपीगण (1)श्री अचलेश्वर मीणा पुत्र श्री जटाशंकर मीणा निवासी मकान नम्बर ए-800, सिद्धार्थ नगर, जैन मंदिर, जवाहर सर्किल के पास, जयपुर हाल वित्तीय सलाहकार, नगर निगम, ग्रेटर, जयपुर (2)श्री धनकुमार जैन पुत्र स्व0 श्री छोटेलाल जैन उम्र 60 साल निवासी, 7-श्रीजी नगर, दुर्गापुरा, जयपुर हाल नगर निगम, ग्रेटर, जयपुर में ठेकेदार (3)श्री अनिल अग्रवाल पुत्र श्री ओमप्रकाश अग्रवाल उम्र 46 साल निवासी सी-27-बी, चौमू हाउस, पुलिस थाना विधायकपूरी, जयपुर हाल सरकारी ठेकेदार, नगर निगम, ग्रेट, जयपुर (4)श्री यतेन्द्र सांखला, सहायक लेखाधिकारी, नगर निगम, ग्रेटर, जयपुर, (5)श्रीकान्त पारीक, एए, (6)गोविन्द्र कुमार, प्राईवेट व्यक्ति (दलाल), (7)श्री गंगाराम मीणा, प्राईवेट व्यक्ति (दलाल),(8)श्री अभिषेक जैन उर्फ टीटू, प्राईवेट व्यक्ति (दलाल) एवं (9)नगर निगम, ग्रेटर जयपुर में पदस्थापित अन्य अधिकारीगण/कर्मचारीगण एवं अन्य प्राईवेट व्यक्ति/ठेकेदार/दलाल के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 05/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

8.1.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

कमांक 38-44 दिनांक 8.1.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय,भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर कम संख्या-1, जयपर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. शासन उप सचिव, (कार्मिक क-3/विभाग) राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर।
6. उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
7. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.आई.यू., जयपुर।

8.1.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।